छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवी मंजिल, टॉवर "सी", कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी
सेक्टर– 21, नवां रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग), 492002
website- www.markfed.cg.nic.in Email.id ; mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्र./M/T/8/20-21/ 9876 /2020 नवां रायपुर ,अटल नगर,, दिनांक 27.10.2020

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान/खाद्यान्न परिवहन कार्य हेतु संशोधित निविदा सूचना

विपणन संघ द्वारा जिला इकाईयो के लिये धान/खाद्यान्न परिवहन हेतु ऑनलाईन ई–निविदा दिनांक 31.10.2020 तक आमंत्रित की गई है। निविदा के वित्तीय प्रपत्र भाग–ख में अनुसूची की दर (SOR) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क.	एस.ओ.आर. स्लैब	अनुसूची की दर (SOR)
1	0–8 कि.मी.	7.74 * 8 KM = 61.92 per ton (FLAT RATE)
2	8–20 कि.मी.	5.35 per ton per K.M.
3	20–40 कि.मी.	3.75 per ton per K.M.
4	40–80 कि.मी.	2.96 per ton per K.M.
5	80 कि.मी. से अधिक	2.37 per ton per K.M.

वित्तीय प्रपत्र के अतिरिक्त निविदा निर्देशो के अंतर्गत आंशिक संशोधन किया गया है जिसकी सूचना पृथक से वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in एवं विपणन संघ के वेबसाईट www.markfed.cg.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। निविदा की अंतिम तिथि 31.10.2020 निर्धारित है, जिसकी अवधि 03.11.2020 तक बढ़ाई जाती है।

27/10/20
महाप्रबंधक (विप.)

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में धान/खाद्यान्न परिवहन कार्य हेतु संशोधित निविदा सूचना दिनांक 28.10.2020

1. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 6 के अंतर्गत 6.17 में यह शर्त रखी जाती है यदि निविदाकर्ता द्वारा स्वीकृत दर पर परिवहन का कार्य नहीं किया जाता है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं 03 वर्ष हेतु काली सूची में दर्ज किया जावेगा एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को स्वीकृत दर पर कार्य करने के लिए प्रस्ताव दिया जायेगा। यदि द्वितीय निविदाकार भी असहमति व्यक्त की जाती है तो अन्य निविदाकारों से उक्त दर पर कार्य करने हेतु चर्चा की जावेगी।
2. विपणन संघ के जिलों का ए. बी. एवं सी श्रेणीकरण करते हुए, इस हेतु क्रमशः 20 लाख, 10 लाख एवं 1 लाख/50 हजार रूपये की अमानत राशि निर्धारित की गई है। जिलेंवार अमानत/सुरक्षानिधि राशि का विवरण परिशिष्ट 01 संलग्न है।
3. निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं की कंडिका 4 में शासकीय अथव अर्धशासकीय एवं अन्य संस्थानों में विगत 05 वर्षो में से किन्ही 02 वर्षो का (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में) परिवहन कार्य का अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का लेख है। उक्त कंडिका को संशोधित करते हुए शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड इत्यादि में परिवहन किया गया हो संशोधन किया जाता है। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेंगे।

27/10/20

महाप्रबंधक (विप.)

परिशिष्ट–1

जिलेवार/श्रेणीवार अमानत राशि का विवरण

श्रेणी	क्रं.	जिला	संशोधन अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि जिलेवार (रू. लाख में)
A	1	बलौदाबाजार	20.00
	2	राजनांदगांव	20.00
	3	जांजगीर चाम्पा	20.00
	4	महासमुंद	20.00
	5	बालोद	20.00
	6	मुंगेली	20.00
	7	रायगढ़	20.00
	8	कांकेर	20.00
	9	सूरजपूर	20.00
	10	बिलासपूर	20.00
	11	बस्तर	20.00
B	12	गरियाबंद	10.00
	13	दुर्ग	10.00
	14	रायपूर	10.00
	15	बेमेतरा	10.00
	16	सरगुजा	10.00
	17	धमतरी	10.00
	18	कवर्धा	10.00
C	19	दन्तेवाड़ा	1.00
	20	बलरामपूर	1.00
	21	कोरबा	1.00
	22	कोंडागांव	1.00
	23	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	1.00
	24	बीजापूर	0.50
	25	कोरिया	0.50
	26	जशपूर	0.50
	27	नारायणपूर	0.50
	28	सूकमा	0.50